चतुर्दश माला, खंड 7, अंक 1

शुक्रवार, 25 फरवरी, 2005
6 फाल्गुन, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 7, चौथा सत्र, 2005/1926 (शक)

अंक 1, शुक्रवार, 25 फरवरी, 2005/6 फाल्गुन, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की अद्यतन वर्णानुक्रम सूची	iii-xxii
लोक सभा के पदाधिकारी	xxiii
मंत्रिपरिषद	xxv-xxvii
राष्ट्रगान	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण	1-22
निधन संबंधी उल्लेख	22-27
सभा पटल पर रखे गए पत्र	27-28
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
(एक) चौदहवां प्रतिवेदन	28
(दो) ग्यारहवां से तेरहवां और पंद्रहवां प्रतिवेदन	28
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	29-30

चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की
अद्यतन वर्णानुक्रम सूची

अं

अंगड़ि, श्री सुरेश (बेलगाम)

अंतुले, श्री ए. आर. (कुलाबा)

अंसारी, श्री फुरकान (गोड्डा)

अ

अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र (चतरा)

अजगल्ले, श्री गुहाराम (सारंगढ)

अजनाला, डा. रतन सिंह (तरनतारन)

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अटवाल, श्री चरणजीत सिंह (फिल्लौर)

अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा (बुलढाना)

अतिथन, श्री धनुषकोडी आर. (तिरूनेलवेली)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनसारी, श्री अफजाल (गाजीपुर)

अप्पादुरई, श्री एम. (तेनकासी)

अबदुल्लाकुट्टी, श्री (कन्नानौर)

अब्दुल्लाह, श्री उमर (श्रीनगर)

अम्बरीश, श्री (मांडया)

अय्यर, श्री मणिशंकर (मयिलादुतुरई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अहमद, डा. शकील (मधुबनी)

अहमद, श्री अतीक (फूलपुर)

अहमद, श्री ई. (पोन्नानी)

अहीर, श्री हंसराज जी. (चन्द्रपुर)

आ

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजमी, श्री इलियास (शाहाबाद)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आडीकेसावुलु, श्री डी.के (चित्तूर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आरुन रशीद, श्री जे. एम. (पेरियाकुलम)

इ

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला – असम)

इलेंगोवन, श्री ई.वी.के.एस. (गोविचेट्टिपालयम)

उ

उरांव, डा. रामेश्वर (लोहरदगा)

ओ

ओराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

ओसमानी, श्री ए. एफ. जी. (बारपेटा)

क

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कनोडीया, श्री महेश (प्राटन)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

करूणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कादर मोहिदीन, प्रो. के. एम. (वेल्लौर)

कामत, श्री गुरूदास (मुम्बई उत्तर–पूर्व)

किन्डिया, श्री पी. आर. (शिलांग)

कुन्नुर, श्री मंजुनाथ (धारवाड़ दक्षिण)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)

कुमारी सैलजा (अम्बाला)

कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुशवाहा, श्री नरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (खजुराहो)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्ण, श्री विजय (बाढ़)

कृष्णदास, श्री एन. एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरुम्बुदूर)

केरकेटा, श्रीमती सुशीला (खूँटी)

कोन्यक, श्री डब्ल्यू वांग्यू (नागालैण्ड)

कोया, डा. पी.पी. (लक्षद्वीप)

कोरी, श्री राधेश्याम (घाटमपुर)

कोल, श्री लालचन्द्र (राबर्टसगंज)

कोली, श्री रामस्वरूप (बयाना)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

ख.

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बैतूल)

खन्ना, श्री अविनाश राय (होशियारपुर)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खारवेनथन, श्री एस. के. (पलानी)

खैरे, श्री चंद्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

ग

गंगवार, श्री संतोष (बरेली)

गढ़वी, श्री पी. एस. (कच्छ)

गणेशन, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)

गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर (अहमदनगर)

गद्दीगउडर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री प्रदीप (राजनंदगांव)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव (मुम्बई उत्तर–मध्य)

गाय, श्री तापिर (अरुणाचल पूर्व)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गिल, श्री आत्मा सिंह (सिरसा)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)

गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, श्री श्यामा चरण (बांदा)

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (भटिंडा)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश (हापुड़)

गोविन्दा, श्री (मुम्बई उत्तर)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द (मंगलोर)

च

चक्रवर्ती, डा. सुजान (जादवपुर)

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चटर्जी, श्री सांताश्री (सेरमपुर)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर, हि. प्र.)

चन्द्र कुमार, प्रो. (कांगड़ा)

चन्द्रप्पन, श्री सी. के. (त्रिचूर)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया, उ.प्र.)

चर्चील, श्री अलीमाऊ (मारमुगाओ)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (मालेगाँव)

चारेनामै, श्री मणि (बाहरी मणिपुर)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)

चित्तन, श्री एन. एस. वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा. (तिरूपति)

चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह (मांडवी)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल)

चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खाँ (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज, उ. प्र.)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्रीमती अनुराधा (कैराना)

चौधरी, श्रीमती रेनुका (खम्माम)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौरे, श्री बापू हरी (धुले)

चौहान, श्री नंद कुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

ज

जगदीशन, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी (तिरुचेन्गोड़े)

जगन्नाथ, डा. एम. (नगर कुरनूल)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (मोहनलाल गंज)

जय प्रकाश, श्री (हिसार)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)

जालप्पा, श्री आर. एल. (चिकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जाहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरूक्षेत्र)

जीगजीणगी, श्री रमेश चंदप्पा (चिक्कोडी)

जेना, श्री मोहन (जाजपुर)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोगी, श्री अजीत (महासमुन्द)

जोगैया, श्री हरि राम (नरसापुर)

जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)

जोशी, प्रहलाद (धारवाड़ उत्तर)

झ

झा, श्री रघुनाथ (बेतिया)

ट

टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)

ठुम्मर, श्री वी. के. (अमरेली)

ड

डांगावास, श्री भंवर सिंह (नागौर)

डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नागर हवेली)

डोम, डा. रामचन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढिल्लों, श्री शरनजीत सिंह (लुधियाना)

ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह (संगरूर)

त

तंगबालु, श्री के. वी. (सेलम)

तस्लीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (करोलबाग)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि (रीवा)

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)

थ

थामस, श्री पी. सी. (मुवत्तुपुजा)

थुपस्तन, श्री छेवांग (लद्दाख)

द

दत्त, श्री सुनील (मुम्बई उत्तर–पश्चिम)

दरबार, श्री छतर सिंह (धार)

दास, श्री अलकेष (नवद्वीप)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दासगुप्त, श्री गुरूदास (पंसकुरा)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

दूबे, श्री चन्द्र शेखर (धनबाद)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस. (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुम्बई–दक्षिण)

देवेगौडा, श्री एच. डी. (हसन)

देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र (शोलापुर)

ध

धनराज, डा. के. (टिंडिवनाम)

धर्मेन्द्र, श्री (बीकानेर)

धारावत, श्री रविन्दर नाइक (वारंगल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

न

नन्दी, श्री अमिताभ (दमदम)

नम्बाडन, श्री लोनाप्पन (मुकुन्दपुरम)

नरबुला, श्री ड़ी (दार्जिलिंग)

नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश (उस्मानाबाद)

नरेन्द्र, श्री ए. (मेडक)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागपाल, श्री हरीश (अमरोहा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्रीमती अर्चना (केन्द्रपाड़ा)

नायडु, श्री कोंडापल्ली पैडीथल्ली (बौब्बिली)

नायर, श्री पी.के. वासुदेवन (तिरूअनन्तपुरम)

निखिल कुमार, श्री (औरंगाबाद, बिहार)

निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर (हिन्दुपुर)

निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद (फतेहपुर)

निहाल चन्द, श्री (श्रीगंगानगर)

नीतीश कुमार, श्री (नालन्दा)

प

पंडा, श्री ब्रह्मानन्द (जगतसिंहपुर)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (बलसाड़)

पटेल, श्री जीवाभाई ए. (मेहसाना)

पटेल, श्री दाहयाभाई वल्लभभाई (दमण और दीव)

पटेल, श्री दिन्शा (कैरा)

पटेल, श्री सोमाभाई जी. (सुरेन्द्र नगर)

पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई (पोरबंदर)

पटैरिया, श्रीमती नीता (सिवनी)

पानाबाका, लक्ष्मी श्रीमती (नेल्लौर)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजते, श्री प्रकाश (ठाणे)

पलनिसामी, श्री के. सी. (करूर)

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पाटले, श्री शिशुपाल एन. (भन्डारा)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा आर. (बीजापुर)

पाटिल, श्री डी. बी. (नांदेड़)

पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी. (सांगली)

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के. (इरन्दोल)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़ (बीड)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब (कराड़)

पाटील, श्रीमती रूपाताई डी. (लातूर)

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता (हिंगोली)

पाठक, श्री ब्रजेश (उन्नाव)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पायलट, श्री सचिन (दौसा)

पॉल, डा. सिबैस्टियन (एर्णाकुलम)

पाल, श्री राजाराम (बिल्हौर)

पाल, श्री रूपचंद (हुगली)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसड़ा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री वीरचन्द्र (नवादा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पिंगले, श्री देविदास (नासिक)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (बापतला)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रधान, श्री धर्मेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री प्रशान्त (कोंटई)

प्रभु, श्री आर. (नीलगिरि)

प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर (राजापुर)

प्रसाद, कुंवर जितिन (शाहजहाँपुर)

प्रसाद, श्री लालमणि (बस्ती)

प्रसाद, श्री हरिकेवल (सलेमपुर)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फैन्थम, श्री फ्रान्सिस (नामनिर्दिष्ट)

ब

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वार)

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह (जलेसर)

'बचदा', श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बर्क, डा. शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)

बर्मन, प्रो. बसुदेव (मथुरापुर)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बर्मन, श्री हितेन (कूच बिहार)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)

बादल, श्री सुखबीर सिंह (फरीदकोट)

'बाबा', श्री के. सी. सिंह (नैनीताल)

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर (दहानु)

बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई (जूनागढ़)

बालू, श्री टी. आर. (मद्रास दक्षिण)

बिश्नोई, श्री कुलदीप (भिवानी)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज (बालाघाट)

बुधौलिया, श्री राजनरायन (हमीरपुर, उ. प्र.)

बेल्लारमिन, श्री ए. वी. (नागरकोइल)

बैठा, श्री कैलाश (बगहा)

बैनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोस, श्री सुब्रत (बारासाट)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

भगोरा, श्री महावीर (सलूम्बर)

भड़ाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांति लाल (झाबुआ)

म

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मनोज, डा. के. एस. (अलेप्पी)

मनोज कुमार, श्री (पलामू)

मरन्डी, श्री सुदाम (मयूरभंज)

मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)

मल्लिकार्जुनैया, श्री एस. (तुमकुर)

मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)

मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री टेक लाल (गिरिडीह)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरूलिया)

महतो, श्री सुनील कुमार (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्री वाई. जी. (जलगांव)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

मांझी, श्री राजेश कुमार (गया)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

*माझी, श्री शंखलाल (अकबरपुर)

माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

माधवराज, श्रीमती मनोरमा (उदुपी)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मारन, श्री दयानिधि (मद्रास मध्य)

माहेश्वरी, श्रीमती किरण (उदयपुर)

मिड़ियम, डा. बाबू राव (भद्राचलम)

मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकंठा)

मिश्रा, डा. राजेश (वाराणसी)

मीना, श्री नमोनारायन (सवाई माधोपुर)

---

*दिनांक 28.2.2005 को शपथ ग्रहण की।

मुंशी राम, श्री (बिजनौर)

मुकीम, मो. (डुमरियागंज)

मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मुफ्ती, सुश्री महबूबा (अनंतनाग)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री हेमलाल (राजमहल)

मूर्ति, श्री ए. के. (चेंगलपट्टू)

मेघवाल, श्री कैलाश (टोंक)

मेहता, श्री आलोक कुमार (समस्तीपुर)

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)

मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड (नामनिर्दिष्ट)

मैन्या, डा. टोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मोघे, श्री कृष्णा मुरारी (खरगौन)

मो. ताहिर, श्री (सुल्तानपुर)

मोदी, श्री सुशील कुमार (भागलपुर)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नूलाल (बिलासपुर)

मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)

य

यादव, कुंवर देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, डा. करण सिंह (अलवर)

यादव, प्रो. राम गोपाल (संभल)

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु (गोपालगंज)

यादव, श्री उमाकान्त (मछलीशहर)

यादव, श्री एम. अंजनकुमार (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह (चन्दौली)

यादव, श्री गिरिधारी (बांका)

यादव, श्री चन्द्रपाल सिंह (झांसी)

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण (मुंगेर)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

*यादव, श्री धर्मेन्द्र (मैनपुरी)

यादव, श्री पारसनाथ (जौनपुर)

यादव, श्री बालेश्वर (पडरौना)

यादव, श्री भाल चन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू (मधेपुरा)

यादव, श्री राम कृपाल (पटना)

यादव, श्री सीता राम (सीतामढ़ी)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

येरननायडु, श्री किन्जरपु (श्रीकाकुलम)

र

रंजन, श्रीमती रंजीत (सहरसा)

रघुपति, श्री एस. (पुडुकोट्टई)

रठवा, श्री नारनभाई (छोटा उदयपुर)

राई, श्री नकुल दास (सिक्किम)

राजगोपाल, श्री एल, (विजयवाड़ा)

राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (घोसी)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजू, श्री एम. एम. पल्लम (काकीनाड़ा)

राजेन्तीरन, श्रीमती एम. एस. के. भवानी (रामनाथपुरम)

राजेन्द्र कुमार, श्री (हरिद्वार)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राठौड़, श्री हरिभाऊ (यवतमाल)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

---

*दिनांक 28.2.2005 को शपथ ग्रहण की।

राणा, श्री गुरजीत सिंह (जालंधर)

राणा, श्री रबिन्दर कुमार (खगड़िया)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

रानी, श्रीमती के. (रासीपुरम)

रामकृष्णा, श्री बाडिगा (मछलीपत्तनम)

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन. (वन्डावासी)

रामदास, प्रो. एम. (पांडिचेरी)

राव, श्री के. एस. (एलूरू)

राव, श्री के. चन्द्रशेखर (करीमनगर)

राव, श्री डी. विट्टल (महबूब नगर)

राव, श्री पी. धलपति (अनकापल्ली)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)

रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)

रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)

रावत, श्री धनसिंह (बांसवाड़ा)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण–मध्य)

रिजीजू, श्री कीरेन (अरुणाचल पश्चिम)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव (परभनी)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (विशाखापतनम)

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री एस. पी. वाई. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री के. जे. एस. पी. (कुरनूल)

रेड्डी, श्री जी. करुणाकर (बेल्लारी)

रेड्डी, श्री मधुसूदन (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर (नालगौंडा)

ल

लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु (जालौर)

'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह (बेगूसराय)

लालू प्रसाद, श्री (छपरा)

लाहिरी, श्री समिक (डायमंड हार्बर)

लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह (रोपड़)

व

वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र (मंगलदोई)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी (तेनाली)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघमारे, श्री सुरेश (वर्धा)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

विजयन, श्री ए. के. एस. (नागापट्टिनम)

विजयशंकर, श्री सी. एच. (मैसूर)

विनोद कुमार, श्री बी. (हनमकोंडा)

विरूपाक्षप्पा, श्री के. (कोप्पल)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी. (कालीकट)

वुन्डावल्ली, श्री अरूण कुमार (राजामुंदरी)

वेंकटपति, श्री के. (कुड्डालोर)

वेंकटस्वामी, श्री जी. (पेद्दापल्ली)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरूपत्तूर)

वेलु, श्री आर. (अर्कोनम)

श

शर्मा, डा. अरविन्द (करनाल)

शर्मा, डा. अरूण कुमार (लखीमपुर)

शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)

शहाबुद्दीन, डा. मो. (सिवान)

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शाह, ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शाहिद, मोहम्मद (मेरठ)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिवनकर, प्रो. महादेवराव (चिमूर)

शिवन्ना, श्री एम. (चामराजनगर)

शीरमेश, श्रीमती तेजस्विनी (कनकपुरा)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शुक्ला, श्रीमती करूणा (जाँजगीर)

शेरवानी, श्री सलीम (बदायूं)

शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील (खेड़)

शैलेन्द्र कुमार, श्री (चायल)

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी. (चिकमगलूर)

स

संगमा, श्री पी. ए. (तुरा)

संगलिअना, डा. एच. टी. (बंगलौर उत्तर)

सईदा, श्रीमती रूबाब (बहराइच)

सज्जन कुमार, श्री (बाहरी दिल्ली)

सतीदेवी, श्रीमती पी. (बडागरा)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्री दरोगा प्रसाद (लालगंज)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री सर्वे (सिद्दीपेट)

सलीम, मोहम्मद (कलकत्ता उत्तर–पूर्व)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

साय, श्री नन्द कुमार (सरगुजा)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

साहु, श्री चंद्रशेखर (बरहामपुर, उड़ीसा)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंह, कुंवर मानवेन्द्र (मथुरा)

सिंह, कुंवर सर्व राज (आंवला)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, चौधरी विजेन्द्र (अलीगढ़)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डा. राम लखन (भिण्ड)

सिंह, राव इन्द्रजीत (महेन्द्रगढ़)

सिंह, श्री अक्षय प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री अखिलेश प्रसाद (मोतिहारी)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री अजीत कुमार (बिक्रमगंज)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)

सिंह, श्री कल्याण (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन (गोंडा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री गणेश प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सीधी)

सिंह, श्री चन्द्रभान (दमोह)

सिंह, श्री चन्द्रभूषण (फरुखाबाद)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (बलरामपुर)

सिंह, श्री मानवेन्द्र (बाड़मेर)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री रामसेवक (ग्वालियर)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल (भीलवाड़ा)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्री सरताज (होशंगाबाद)

सिंह, श्री सीताराम (शिवहर)

सिंह, श्री सुग्रीव (फूलबनी)

सिंह, श्री सूरज (बलिया, बिहार)

सिंह, श्रीमती कान्ति (आरा)

सिंह, श्रीमती प्रतिभा (मंडी)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी (कृष्नगर)

सिद्दीश्वर, श्री जी. एम. (दावणगेरे)

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)

सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन (शिवकाशी)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सील, श्री सुधांशु (कलकत्ता उत्तर–पश्चिम)

सुगावनम, श्री ई. जी. (कृष्णागिरि)

सुजाता, श्रीमती सी. एस. (मवेलीकारा)

सुब्बा, श्री मणी कुमार (तेजपुर)

सुब्बारायण, श्री के. (कोयम्बटूर)

सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)

सुम्बरूई, श्री बागुन (सिंहभूम)

सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा (अडूर)

सूर्यवंशी, श्री नरसिंगराव हु. (बीदर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेनथिल, डा. आर. (धर्मपुरी)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका (तिरूचेन्दूर)

सोनोवाल, श्री सर्वानन्द (डिब्रुगढ़)

सोरेन, श्री शिबु (दुमका)

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह (आनन्द)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह (गोधरा)

स्वाईं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वाईं, श्री हरिहर (आस्का)

ह

हनुमनथप्पा, श्री एन.वाई. (चित्रदुर्ग)

हमज़ा, श्री टी. के. (मंजेरी)

हर्ष कुमार, श्री जी. वी. (अमलापुरम)

हसन, श्री मुनव्वर (मुजफ्फरनगर)

हान्डिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अनवर (धूबरी)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हेगड़े, श्री अनंत कुमार (कनारा)

लोकसभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

• सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद्

मंत्रिपरिषद स्तर के मंत्री

डा. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों / विभागों के भी प्रभारी जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किए गए हैं जैसे : 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 2. योजना मंत्रालय 3. परमाणु ऊर्जा विभाग; तथा 4. अंतरिक्ष विभाग
श्री प्रणब मुखर्जी	रक्षा मंत्री
श्री अर्जुन सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री लालू प्रसाद	रेल मंत्री
श्री शिवराज वि. पाटील	गृह मंत्री
श्री रामविलास पासवान	रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री
श्री गुलाम नबी आजाद	संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री
श्री शीश राम ओला	खान मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	वित्त मंत्री
श्री महावीर प्रसाद	लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री
श्री पी.आर. किन्डिया	जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री
श्री टी. आर. बालू	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
श्री शंकर सिंह वाघेला	वस्त्र मंत्री
श्री के. नटवर सिंह	विदेश मंत्री
श्री कमल नाथ	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री हंस राज भारद्वाज	विधि और न्याय मंत्री
श्री पी. एम. सईद	विद्युत मंत्री
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	ग्रामीण विकास मंत्री

श्री प्रियरंजन दासमुंशी	जल संसाधन मंत्री
श्री मणि शंकर अय्यर	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री
श्री सुनील दत्त	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्रीमती मीरा कुमार	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री के. चन्द्रशेखर राव	श्रम और रोजगार मंत्री
श्री शिबु सोरेन	कोयला मंत्री
श्री ए. राजा	पर्यावरण और वन मंत्री
श्री दयानिधि मारन	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
डा. अंबुमणि रामदास	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री संतोष मोहन देव	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री जगदीश टाइटलर	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री ऑस्कर फर्नांडीस	सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती रेनुका चौधरी	पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री
श्री विलास मुत्तेमवार	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
कुमारी शैलजा	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री प्रफुल पटेल	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री प्रेमचंद गुप्ता	कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुरेश पचौरी	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विजय हान्डिक	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. दासरि नारायण राव	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. शकील अहमद	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
राव इन्द्रजीत सिंह	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री नारनभाई रठवा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के. एच. मुनियप्पा	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम. वी. राजशेखरन	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कांतिलाल भूरिया	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री माणिकराव होडल्या गावित	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्री तस्लीमुद्दीन	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. नरेन्द्र	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आर. वेलु	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. रघुपति	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के. वेंकटपति	विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती कान्ति सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नमोनारायन मीना	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. अखिलेश प्रसाद सिंह	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

शुक्रवार, 25 फरवरी, 2005/6 फाल्गुन, 1926 (शक)

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर छियालीस मिनट पर समवेत हुई।

*(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)*

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

अपराह्न 12.47 बजे

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 25 फरवरी, 2005 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण** की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण●

माननीय सदस्यगण

नववर्ष में संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आप सबको मेरा अभिनंदन। नए साल की शुरूआत मिली-जुली भावनाओं के साथ हुई है। एक ओर, ऐसे अनेक कारण थे जो इस वर्ष के लिए हमारे अंदर आशा और उत्साह जगाते तो, दूसरी ओर, समूचा राष्ट्र सुनामी त्रासदी से ग्रस्त रहा। 26 दिसम्बर, 2004 को सुमात्रा के निकट महासागर के तल में आए एक बड़े भूकंप से उत्पन्न हुई एक सुनामी लहर ने अंडमान व निकोबार व द्वीपसमूहों तथा आंध्र प्रदेश, केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। हमारे हृदय उन के लिए आहत हुए, जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस हत्यारी लहर के साथ जाते देखा, जो सागर से उठकर आई और हजारों लोगों के जीवन और जीविका को समाप्त कर गई। समस्त राष्ट्र उन सभी लोगों के शोक में भागीदार है जिनके जीवन और जीविका को इस आपदा ने नष्ट कर दिया।

तब भी, माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि वक्त पड़ने पर पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आने में हमारी जनता की तत्काल प्रतिक्रिया इस अंधकार की घड़ी की रोशनी की किरण के समान रही। इस तथ्य के अलावा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अभूतपूर्व योगदान दिया गया, लाखों भारतीयों और विदेशी मित्रों ने अपने-अपने तरीके से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, राहत पहुंचाई तथा प्रभावित लोगों के पुनर्वास कार्य को आसान बनाने के लिए योगदान दिया।

राज्य और स्थानीय सरकारों, सशस्त्र सेनाओं और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए बचाव, राहत पुनर्वास कार्यों की मैं पूरे देश की ओर से सराहना करता हूं। हमने अपनी जिन्दगी में सुनामी का प्रकोप अपने इलाके में नहीं देखा था। ऐसी स्थिति में सुनामी ने हमें सकते में डाल दिया। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों के दूर-दराज इलाकों में स्थित होने के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई। तब भी हमारी प्रतिक्रिया तीव्र रही। भारतीय नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों ने न केवल हमारे लोगों वरन् श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और थाईलैंड के प्रभावित लोगों को भी शीघ्र राहत पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई।

मेरी सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि तत्काल बचाव व राहत कार्य के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस कार्य को स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने बड़े अच्छे ढंग से संपन्न किया और अपेक्षित संसाधन राज्य व केन्द्र सरकारों के पास उपलब्ध थे। भारत उन सभी का धन्यवाद करता है जिन्होंने सहानुभूति दिखाई और उदारतापूर्वक मदद करने की पेशकश की। तटीय क्षेत्रों की ध्वस्त अर्थव्यवस्थाओं तथा पारिस्थितिक तंत्रों के पुनर्निर्माण व पुनर्स्थापना के लिए हम बाहरी सहयोग और परामर्श का स्वागत करते हैं। समुद्री अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाकर और तटीय पारिस्थितिकी को सुरक्षित करके हम इस त्रासदी को विकास के एक अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं।

यह अत्यावश्यक है कि प्रतिक्रियात्मक संवेदना की तीव्रता तथा राहत और पुनर्वास चरण के कार्यों की गति को पुनर्निर्माण चरण तक बनाए रखा जाए। मैं आशा करता हूं कि हम पुनर्निर्माण के अपने प्रयासों को आपदा शमन के प्रभावी, मानवोचित तथा प्रगतिशील जन कार्यकलाप के विश्वव्यापी नमूने के रूप में प्रदर्शित कर पाएंगे।

सरकार शीघ्र ही एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाएगी। संसद में जल्दी ही आपदा प्रबंधन पर एक केन्द्रीय विधान लाया जाएगा। मैं सिफारिश करूंगा कि इस प्राधिकरण के कार्यकलापों में

---

*राष्ट्रपति ने अभिभाषण अंग्रेजी में दिया।

** ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1588/2005

● अभिभाषण का हिन्दी पाठ भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा पढ़ा गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ठोस घटक निहित हो। हमें प्राकृतिक आपदाओं और अपने तटीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी को होने वाले खतरों से निबटने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में दीर्घकालिक उपाय विकसित करने होंगे। जम्मू व कश्मीर में भारी हिमपात के परिणामस्वरूप हाल ही के हिम–स्खलनों जैसी विपत्तियों से हुए जान–माल के अत्यधिक नुकसान के मद्देनजर इस प्रकार के प्राधिकरण की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। राष्ट्र जम्मू व कश्मीर के लोगों की दुख की इस घड़ी में उनके साथ है।

सुनामी त्रासदी के प्रति हमारे देश की जनता की उदार प्रतिक्रिया ने एक बार फिर यह दर्शा दिया है कि हमारे राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण में आमूल–चूल बदलाव आया है। हममें से जो लोग व्यक्तिगत हित साधन की सामाजिक प्रवृत्ति तथा बहिष्कार की राजनीति की राजनैतिक प्रवृत्ति के बारे में चिंतित रहे हैं उन्हें सुनामी के बाद वास्तविक परहितवाद तथा सम्मिलन की भावना, जिसने राष्ट्र की मनोदशा को चरितार्थ किया, से संतोष मिला होगा।

मेरी सरकार, एक समवेत समाज, हितचिन्तक राज्यव्यवस्था तथा साझी अर्थव्यवस्था के प्रति वचनबद्ध है। यही राष्ट्रीय साझा–न्यूनतम कार्यक्रम का सार है जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटकों ने अपनाया है तथा जिसका वाम और अन्य समान विचारधारा वाले दलों ने समर्थन किया है। राजनैतिक मुख्यधारा में निहित बहुलवाद, सर्वसमावेश, पंथनिरपेक्षता तथा समता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक वृद्धि की ओर वापसी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का राष्ट्र के प्रति महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की जनता ने हमारे राष्ट्रत्व के इन सारगर्भित मूल्यों के प्रति बार–बार अपने समर्पण की अभिपुष्टि की है।

मेरी सरकार, जनता को आर्थिक विकास तथा सामाजिक प्रगति की ओर अपनी ऊर्जा को पुनः संकेन्द्रित करने के लिए उत्साहित करने में सक्षम रही है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि इस समय देश में आशावाद की भावना व्याप्त है और हम उन्नत आर्थिक निष्पादन, साम्प्रदायिक सद्भावना तथा राजनीतिक स्थायित्व वाले वर्ष की आशा कर सकते हैं। सभी मुख्य आर्थिक संकेत बेहतर हो रहे हैं तथा निवेशकों ने हमारी योग्यता में अपना विश्वास पुनः जताया है। मेरा विश्वास है कि परोपकारिता के साथ–साथ आशावाद के इस वातावरण का उपयोग हमारे समवेत लोकतांत्रिक की नींव को सुदृढ़ करने के लिए अवश्य किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्यगण, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने एक वर्ष की तीन तिमाहियों की अवधि के दौरान सत्तासीन रहते हुए, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पहले ही पर्याप्त समय और ऊर्जा लगाई है। इससे अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के प्रति वचनबद्धता पर आधारित, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिरता का एक वातावरण सृजित किया गया है। सरकार ने समता तथा सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बनाए रखा है। इसने साम्प्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित किया है और अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए आशा की नई भावना सृजित की है। मेरी सरकार पूरे देश में विभिन्न असंतुष्ट समूहों, विशेषतः उत्तर–पूर्वी राज्यों में, और जनजातीय समुदायों के बीच अपनत्व की भावना उत्पन्न करने में भी समर्थ रही हे। ऐतिहासिक कांगला किले को मणिपुर की जनता को समर्पित करना न केवल मणिपुरी लोगों के इतिहास में गौरवशाली घड़ी थी बल्कि यह हमारे समाज के सभी घटकों के प्रति मेरी सरकार की इस वचनबद्धता की भी प्रतीक थी कि उन्हें मान–मर्यादा और आत्म–सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। इसी संदेश के साथ प्रधानमंत्री ने कश्मीर घाटी में रह रहे लोगों और जम्मू में प्रवासी कश्मीरी पंडितों से सहृदयता व्यक्त करने के लिए जम्मू व कश्मीर राज्य की यात्रा की।

मेरी सरकार ने धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक आयोग गठित किया है। यह आयोग इन वंचित वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करेगा और उनके लिए शैक्षिक, रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ाने के लिए उपाय सुझाएगा। हम भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर एक श्वेत–पत्र भी तैयार करेंगे। आगे चलकर, सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम को नया रूप देगी ताकि विशिष्ट कार्यक्रमों का समावेश किया जा सके।

इस देश में अनेक क्षेत्रों में आदिवासी असुरक्षा का जीवन बिता रहे हैं क्योंकि उनके संपदा अधिकारों का हल नहीं किया गया है। यह आवश्यक है कि उन क्षेत्रों में, जहां वे कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, सुनिश्चित संपत्ति और भूमि अधिकार की उनकी आवश्यकता को समझा जाए। यह विडम्बना की बात है कि उन जनजातीय लोगों, जो कई पीढ़ियों से 'वन ग्रामों' में निवास कर रहे हैं तथा इन जमीनों पर कृषि कर रहे हैं, के अधिकारों को उचित मान्यता नहीं दी गई है। सरकार उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दे रही है और हम जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों के मामले को निपटाने का प्रयास करेंगे। इसका परिणाम जनजातीय लोगों और वन संरक्षण के लक्ष्य, दोनों के लिए लाभदायक होगा।

मेरी सरकार मानती है कि यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है कि समाज के वंचित वर्गों का सम्यक ध्यान रखा जाए। हम उनके शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए उपाय करने के प्रति वचनबद्ध हैं। साथ ही, हमें उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए तथा उन्हें सदियों पुराने पूर्वाग्रहों से भी मुक्त करना चाहिए। सरकार सिर पर मैला ढोने के अपमानजनक कार्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी तथा राज्यों को इसे लागू करने के लिए अगस्त, 2005 तक

का समय दिया जाएगा। मेरी सरकार शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के उत्थान और सशक्तीकरण के लिए भी वचनबद्ध है।

यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारे द्वारा शुरु की गई विकास प्रक्रियाओं का लाभ हमारे समाज के वंचित वर्गों को मिले। सरकार ने निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के तौर–तरीकों का पता लगाने के लिए उद्योग जगत से विचारविमर्श करने हेतु एक मंत्री–समूह का गठन किया है। सरकार में आरक्षण के सभी उपबंधों को संहिताबद्ध करते हुए सरकार ने संसद में आरक्षण विधेयक पेश किया है। इसके अतिरिक्त, दलितों के कल्याण से संबंधित सभी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए दलित कार्य संबंधी एक मंत्री–समिति बनाई गई है।

माननीय सदस्यगण, कीमतों को स्थिर रखने की राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उल्लिखित महत्वपूर्ण वचनबद्धता को सरकार ने पूरा किया है। खराब मानसून के प्रभाव के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण गत वर्ष के मध्य में मुद्रा स्फीति की दर बढ़ गई। तथापि, तेल मूल्य के निरन्तर दबाव के बावजूद आर्थिक नीतियों और प्रशासनिक हस्तक्षेप के सम्मिलित विवेकपूर्ण प्रयासों से मुद्रा स्फीति दर को कम करने में मदद मिली है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अगस्त, 2004 में 8 प्रतिशत से कुछ ऊपर तक बढ़ने के बाद नीचे आकर 5 प्रतिशत हो गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा आंकी गई मुद्रा स्फीति की दर कम हुई है और थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में काफी कम है। मेरी सरकार, मुद्रा स्फीति की दर पर नियंत्रण रखने के लिए वचनबद्ध है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा गरीब प्रभावित होते हैं। मुद्रा स्फीति की दर को कम करने में सरकार की सफलता, सरकार द्वारा पिछले नौ महीनों में किए गए अनेक गरीबोन्मुख कार्यकलापों में सबसे महत्वपूर्ण रही है। सरकार कीमतों को स्थिर रखने और गरीबों की वास्तविक आय को संरक्षित रखने के अपने संकल्प पर दृढ़ रहेगी।

मुद्रा स्फीति नियंत्रण एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करता है जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश और व्यावसायिक गतिविधि को बल मिले। सभी वृहत आर्थिक सूचक बेहतर हो रहे हैं। 2003–04 में हुई रिकॉर्ड वृद्धि जो अधिकांशतः पूर्ववर्ती वर्ष की अल्पवृद्धि में हुए सुधार से हुई, के अलावा 2004–05 में कम मानसून और तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद अर्थव्यवस्था पुनः लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। निवेश गतिविधि के पुनर्जीवित होने और पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होने से 2004–05 में औद्योगिक उत्पादन में 8.9 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र की आय में 8.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। कम मानसून के कारण कृषि पैदावार में 1.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के बावजूद, खाद्य कीमतें नियंत्रण में रही हैं।

विदेश व्यापार तीव्र गति से बढ़ रहा है जिसमें अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 की अवधि में अमेरिकी डालर के हिसाब से निर्यात में 25.6 प्रतिशत की तथा आयात में 34.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घरेलू तथा विदेशी, दोनों प्रकार के निवेश में वृद्धि हो रही है जो हमारी अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। नीतिगत तथा प्रचलनात्मक अवरोधों को हटाकर निवेश–गतिविधि को और तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने एक निवेश आयोग का गठन किया है। विदेश मुद्रा भंडार रिकार्ड स्तर पर बना हुआ है जबकि निवेश गतिविधि के पुनरुत्थान और इसके परिणामस्वरूप, आयात मांग में हुई वृद्धि ने संचय दर को स्थिर कर दिया है। समग्र रूप से, सभी वृहत आर्थिक सूचक मजबूत और सकारात्मक है और अर्थव्यवस्था तथा मण्डियों में ऊंचाई का रुख है। मेरी सरकार ऐसी नीतियों का अनुसरण करेगी जिससे यह उछाल बरकरार रहे और विकास की गति तेज हो तथा उच्च स्तरीय राजकोषीय और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए, कुशलता और निष्पक्षता के मार्ग पर हम आगे बढ़ते रहें।

माननीय सदस्य कृषि, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, अवसंरचना, शहरी नवीकरण और जल के सात प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम की मुख्य वचनबद्धताएं हैं।

मेरी सरकार 'ग्रामीण भारत को नई पहल' देने के लिए वचनबद्ध है। इस 'नई पहल' में अन्य बातों के अलावा कृषि में घटते निवेश के रुख को पलटना; किसानों के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ाना; सिंचाई और बंजर भूमि विकास में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना; कृषि अनुसंधान और विस्तार के लिए निधियां बढ़ाना; कृषि पैदावार के लिए 'एकल मण्डी' बनाना; ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में निवेश; ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कों को बढ़ावा; वस्तुपरक वायदा बाजारों की स्थापना; और खेती एवं ग्रामीण व्यवसाय में जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना शामिल है।

कृषि के लिए ऋण प्रवाह में तीव्र वृद्धि करना गत वर्ष मेरी सरकार द्वारा सर्वप्रथम उठाए गए कदमों में एक था। पूरा देश उस विपत्ति से अत्यन्त व्यथित था जिसने देश के कुछ भागों में कुछ किसानों को हताश होने व आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। मेरी सरकार ने प्रभावित परिवारों के दुख का निवारण करने के लिए अनेक उपाय किए और किसानों को आसानी से ऋण मुहैया कराने के लिए अनेक पहलें की। आगामी तीन वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह को दोगुना करने और किसानों की ऋण संबंधी राहत मुहैया कराने के लिए जून, 2004 में एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई। इस वर्ष के लिए 1,05,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण प्रवाह के लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 2005 के अंत तक 99,240 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जो कि लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत बैठता है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बाजार की अनिश्चितताओं से संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने फार्म और फार्म आय बीमा

उपलब्ध कराने के लिए अनेक उपाय किए हैं। फार्म आय बीमा योजना, जो रबी फसलों के लिए कार्यान्वित की गई थी, उसे खरीफ की फसलों के लिए भी लागू कर दिया गया है। मौसम विज्ञान की पूर्वानुमान प्रणाली का आधुनिकीकरण, मौसम के बारे में अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाकर हमारे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में भी योगदान करेगा।

बागवानी, प्राथमिकता से ध्यान दिए जाने के लिए चुने गए क्षेत्रों में से एक है जिसके लिए एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। इस पहल में हमारे ग्रामीण परिदृश्य तथा कृषि उत्पादों के मामले में हमारी निर्यात स्थिति को भी बदल डालने की क्षमता है। इसकी ब्यौरेवार रूपरेखा वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में पेश करेंगे।

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में जल उपलब्धता तथा इसके इस्तेमाल संबंधी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। जल एक राष्ट्रीय संसाधन है और हमें अपने देश के जल संसाधनों, अपनी आवश्यकताओं, अपनी नीतियों और जल के इस्तेमाल के अपने तरीकों पर एक समग्र दृष्टिकोण बनाना होगा। हमें दुष्प्राप्य जल संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मैं आपसे और अपने सभी राजनेताओं से यह अनुरोध करता हूं कि वे हमारे जल संसाधनों के प्रबंधन की चुनौतियों को राष्ट्रीय तथा सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखें।

जल संरक्षण के लिए हमें सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। लोगों ने इस क्षेत्र में अग्रणी होने की अपनी क्षमता को दर्शाया है। मेरी सरकार की योजना है कि जन आंदोलन द्वारा बड़े स्तर पर जल संरक्षण तथा जल एकत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। शुष्क भूमि कृषि तथा कृत्रिम पुनर्भरण के वर्तमान कार्यक्रम ऐसे मिशन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे जबकि मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित निवेश जल संरक्षण के नागरिक तथा जन आधारित आंदोलन के लिए निधि प्रदान करेगा। जलागम प्रबंधन के वर्तमान कार्यक्रम इन प्रयासों के पूरक होंगे जो स्वयं भी जलागम पर आधारित होंगे। इसमें विशेषकर हमारे शुष्क तथा अर्ध-शुष्क में जल उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सरकार का कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने की एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। कृषि क्षेत्र, विशेष तौर पर ग्रामीण अवसंरचना में विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।

ब्रह्मपुत्र घाटी तथा गंगा के मैदानी इलाकों में आने वाली मौसमी बाढ़ की समस्या सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रही है। दीर्घकालिक उपाय सुझाने तथा ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के पानी को काम में लाने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो उत्तर-पूर्व घाटी प्राधिकरण की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करेगी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के लिए वित्तीय आबंटन को बढ़ा दिया गया है। केन्द्रीय बजट 2004-05 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के किसानों के लिए जल एकत्रीकरण योजनाओं की सहायता हेतु कदम उठाए गए हैं। सिंचाई तथा पेय जल, दोनों प्रयोजनों हेतु, जल प्रबंधन के सभी पक्षों पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा। यह सरकार पड़ोसी देशों के साथ जल संबंधी सभी मामलों पर सहयोग की भावना से कार्रवाई भी कर रही है।

कृषि अनुसंधान और विस्तार मेरी सरकार के लिए प्राथमिकता का एक अन्य क्षेत्र होगा। कृषि अनुसंधान के लिए वित्तपोषण बढ़ाया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों और स्नातकों की संख्या बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता के नए केन्द्रों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कृषि को और आगे आधुनिकीकरण किया जा सके। 'ग्रामीण भारत को नई पहल' देने के लिए ग्रामीण विकास संस्थाओं को भी पुनर्जीवित करना अपेक्षित है। बुनियादी लोकतंत्र की मेरी सरकार की वचनबद्धता नया पंचायती राज मंत्रालय बनाने में प्रदर्शित हुई है। मुख्य मंत्रियों से परामर्श करके मंत्रालय ने पंचायती राज के 18 पहलुओं को शामिल करते हुए 150 सूत्री कार्य योजना तैयार की है। सरकार विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय रूप से शामिल करेगी। देश में सहकारी क्षेत्र भी कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण जरिया रहा है। सरकार सहकारी संस्थाओं में एक व्यावसायिक प्रबंधन पद्धति लागू करके और उनके लोकतांत्रिक स्वरूप को पुनः स्थापित करके उन्हें सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है। नाबार्ड द्वारा सहकारी ऋण ढांचे के पुनर्जीवीकरण के लिए एक योजना तैयार की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाओं और ढांचागत सुविधओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण अवसंरचना संबंध राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। ग्रामीण विद्युत वितरण आधार-तंत्र और ग्रामीण विद्युत अवसंरचना सृजित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण नीति तैयार की गई है। मेरी सरकार वर्ष 2009 तक देश के सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अवसंरचनात्मक असमानता को समाप्त करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका और निवेश के अवसर उपलब्ध कराये जाने हैं। इससे नगरों की ओर दुःखद प्रव्रजन जिससे शहरी अवसंरचना पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है, निरुत्साहित होगा। हमें ग्रामीण सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं में सुनियोजित ढंग से सुधार करना चाहिए।

मेरी सरकार ने अनेक अन्य उपाय किये हैं जिनमें कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अत्यधिक लाभ होगा। इनमें ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करने और उसका आधुनिकीकरण करने तथा ग्रामीण स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाने

पर लक्षित कार्यक्रम और नीतियां शामिल हैं। कुल मिलाकर ये सभी उपाय हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को प्रमुख विकासात्मक बल प्रदान करते हैं। यह कथन कि भारत गांवों में बसता है एक घिसीपीटी बात हो सकती है लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें हमेशा याद रखना है। जब तक ग्रामीण भारत में रहने वाले हमारे नागरिक, खास तौर पर किसान और कमजोर वर्ग आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त नहीं होते, भारत उदय नहीं हो सकता। मेरी सरकार भारत उदय चाहती है लेकिन यह उदय सभी के लिए हो।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के लिए विशेष ध्यान दिया जाने वाला दूसरा क्षेत्र रोजगार का है। यह हमारे देश के लिए प्राथमिकता है जहां जनसंख्या में युवाओं का हिस्सा बढ़ रहा है और आने वाले कुछ दशकों तक बढ़ता ही रहेगा। निवेश बढ़ाने और कृषि, विनिर्माण, अवसंरचना तथा सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर बढ़ाने पर लक्षित नीतियां निःसन्देह रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगी। विकास प्रक्रियाओं में जिनके पिछड़ जाने की संभावना है, उनका ध्यान रखने और एक सुरक्षा कवच सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से, देश के कुछ अधिक पिछड़े क्षेत्रों में, मेरी सरकार ने एक राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी विधेयक बनाया है। संसद के समक्ष प्रस्तुत यह विधेयक शुरूआती तौर पर देश के कुछ सबसे पिछड़े जिलों में प्रत्येक गरीब घर में कम से कम एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिनों के रोजगार के लिए विधिक गारंटी प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम का क्रमशः विस्तार किया जाएगा ताकि सभी ग्रामीण क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाए। इस बीच, सरकार ने 150 पिछड़े जिलों में 'काम के बदले अनाज' का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की वर्षगांठ पर आंध्र प्रदेश के एक पिछड़े जिले में प्रारंभ किया गया। 50 लाख और परिवारों को अंत्योदय कार्ड दिए जा चुके हैं। जिससे इनकी कुल संख्या 2 करोड़ तक पहुंच गयी है।

सदियों से हमारी सभ्यता ज्ञान पर आधारित रही है और तब भी हमारे देश में निरक्षरता की दर अस्वीकार्य रूप से उच्च है। आज हमारे सर्वोत्तम और सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति वैश्विक ज्ञान व्यवस्था में सबसे अग्रणी हैं, तब भी हमारे अनेक विद्यालय और महाविद्यालय उन सबकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असमर्थ हैं जो ज्ञान का प्रकाश पाना चाहते हैं। इसे बदला जाना चाहिए। भारत को एक नवीन ज्ञान क्रांति की आवश्यकता है, गांवों के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर विश्व-स्तरीय अनुसंधान संस्थाओं तक, ज्ञान के पिरामिड के सभी स्तरों पर शिक्षा में निवेश की एक नई लहर की आवश्यकता है। मेरी सरकार शिक्षा की सुलभता और उत्कृष्टता, दोनों मुद्दों को प्राथमिकता देगी।

शिक्षा उपकर द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए संसाधनों को बढ़ाया गया है जिससे प्रारंभिक शिक्षा कोष का निर्माण होगा। इससे सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्याह्न आहार योजना और किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम का बेहतर वित्त-पोषण हो सकेगा। पहली बार, सर्व शिक्षा अभियान का एक राष्ट्रीय मिशन गठित किया गया है। एडूसेट, एक शैक्षिक उपग्रह के प्रक्षेपण और दूरदर्शन की डायरेक्ट-टू-होम टेलीविजन सुविधा की शुरूआत से साक्षरता के प्रसार में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग हो सकेगा। मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास पर विशेष ध्यान दिया है। अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित उच्चतर अध्ययन संस्थाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं हेतु एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय और मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है और जामिया मिलिया इस्लामिया को एक विशेष अनुदान प्रदान किया गया है। सरकार ने उत्तर-पूर्व के लिए एक भारतीय प्रबंधन संस्थान स्वीकृत किया है और कश्मीर विश्वविद्यालय में संकाय विकास हेतु सहायता करने पर सहमति दी है।

शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मेरी सरकार द्वारा उठाए गए ये कुछेक शुरूआती कदम हैं। काफी कुछ और किये जाने की आवश्यकता है और उसे किया जाएगा। हमें एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है जो पंथ निरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा दे तथा 21वीं शताब्दी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम, चिंतनशील, प्रतिबद्ध और योग्य नागरिक बनाए। हमें अपने समाज में इर्द-गिर्द के संसार के बारे में अधिक जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए और एक वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे महान राष्ट्र का भविष्य हमारी शिक्षा व्यवस्था की गुणता और अंतर्वस्तु पर निर्भर है। सरकार ने भारत को 21वीं सदी में ज्ञान का पूरा फायदा देने के लिए एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी है। इस ज्ञान आयोग की पांच शाखाएं होंगी : जनसमुदाय के हित के लिए ज्ञान की सुलभता बढ़ाना, विश्वविद्यालयों में ज्ञान की अवधारणा का पोषण करना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान का सृजन, हमारे व्यापार और उद्योग जगत में ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना और सरकार में सेवा-प्रदानगी को सुधारने में ज्ञान का उपयोग करना। मूलभूत विज्ञान तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। अनुसंधान और विकास, विशेषकर जैव-प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकियों में सार्वजनिक-निजी भागीदारियों को बढ़ावा देने तथा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों का वित्तपोषण बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

नीतिगत कार्रवाई के लिए एक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है – स्वास्थ्य देखभाल। सरकार की एक प्रमुख प्रतिबद्धता है – अगले पांच वर्षों के दौरान जनस्वास्थ्य संबंधी खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत की वर्तमान दर से 2 प्रतिशत की दर तक बढ़ाना, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को, खासकर ग्रामीण

क्षेत्रों में, गरीब लोगों के लिए, बेहतर बनाना। मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करके एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत करने का प्रस्ताव करेगी। जो जिला आधारित नियोजन तथा स्वास्थ्य देखभाल करने के प्रबंधन माडल पर आधारित होगा। स्वास्थ्य प्रबंधन का यह विकेन्द्रीकृत मॉडल पहली बार स्वास्थ्य समस्याओं के स्थानिक समाधानों को संभव बनाएगा और आशा है कि 'सबके लिए स्वास्थ्य' का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार शहरी अवसंरचना के विकास और हमारे कस्बों एवं शहरों को अधिक निवासयोग्य बनाने पर भी विशेष ध्यान देगी। ऐसे देश के लिए जहां एक तिहाई से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, कस्बों और शहरों में मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच बनाने तथा विश्वस्तरीय अवसंरचना मुहैया कराने के कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने का समय आ गया है। इससे हमारे शहर आर्थिक विकास को कारगर ढंग से आकर्षित कर सकेंगे। शहरी नवीकरण पर प्रस्तावित मिशन इस आवश्यकता को पूरा करेगा।

अवसरंचना मेरी सरकार के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। यदि अगले दशक के दौरान अर्थव्यवस्था में 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि करने का सरकार का उद्देश्य पूरा करना है तो देश को अवसरंचना में वृहत् निवेश की आवश्यकता होगी। विद्युत, सड़कों, रेलवे, पत्तनों और अंतर्देशीय जलमार्गों, नागरिक उड्डयन और गृह निर्माण में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अवसंरचना संबंधी समिति का गठन किया गया है। पूर्वी एशिया के अपने पड़ोसियों के समकक्ष पहुंचने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को अगले दशक के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में कम से कम 150 बिलियन डालर के निवेश की जरूरत है।

अवसंरचना संबंधी इस समिति ने पहले ही एक नई नागरिक उड्डयन नीति के लिए रूपरेखा निर्धारित कर दी है जो उड्डयन सेवाओं में सुधार करे, घरेलू वायुसेवाओं को प्रोत्साहन दे, नागरिक उड्डयन अवसंरचना को आधुनिक बनाए और उपभोक्ताओं को चयन के और अधिक अवसर प्रदान करे। नागरिक उड्डयन नीति जो अतीत में पारदर्शिता के अभाव तथा तदर्थवाद के समावेश से ग्रस्त थी, में पारदर्शिता एवं प्रगामी नीति का समावेश किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में नवीन निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को और अधिक व्यावसायिक और दक्ष बनाने हेतु कदम उठाते हुए इसे अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क निर्माण की दर, विशेषकर स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिणी एवं पूर्व-पश्चिमी कॉरिडोरों में बढ़ा दी गई है। सरकार सभी अवसंरचना परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रेल और सड़क संयोजन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेरी सरकार इस प्रयोजन के लिए समुचित तंत्रों की स्थापना करने की प्रक्रिया में है। मुगल रोड़ जैसी ऐतिहासिक संरचनाओं के उन्नयन के साथ जम्मू और कश्मीर में सड़क एवं रेल विकास को उच्चतर प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

गत दशक के दौरान हमारी दूरसंचार नीति की सफलता ने अवसंरचना के क्षेत्र में उदार नीति अपनाने के फायदों को दर्शा दिया है। ऐसी नीति का लाभार्थी, अन्ततः उपभोक्ता ही होगा। मेरी सरकार की योजना है कि भारत के वर्तमान दूरसंचार घनत्व को 8.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 2008 तक 20 प्रतिशत से अधिक कर दिया जाए। हमारी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में ध्वनि तथा डाटा ट्रांसमिशन संयोजन प्रदान करने की होगी। हाल ही में घोषित ब्राडबैंड नीति से इंटरनेट संयोजन में और भी तेज गति से बढ़ोतरी होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को क्रमशः ई-गवर्नेंस, ई-शिक्षा तथा ई-स्वास्थ्य के लाभ उठाने में मदद मिलेगी। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी में छलांग लगाने में हम सक्षम हैं अतः ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के मध्य डिजिटल विभाजन को अविलम्ब समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।

मेरी सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय विद्युत नीति इस क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करेगी और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि अन्य उपभोक्ताओं सहित ग्रामीण उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत, 4000 मेगावाट से अधिक कुल क्षमता वाली 11 निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय उपलब्धता सुगम करने में अंतर-संस्थागत दल को मिली सफलता इस क्षेत्र में भावी निवेश के लिए अच्छा शगुन है। मेरी सरकार द्वारा की गई पहलों से निजी प्रोत्साहकों तथा वित्तीय संस्थानों का विश्वास काफी बढ़ा है और उन्होंने व्यवहार्य निजी विद्युत परियोजनाओं को निधि प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई है। नवम्बर, 2004 में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा जारी नई इक्विटी के साथ-साथ इसमें सरकारी इक्विटी के विक्रय के प्रति जनता की प्रतिक्रिया इस क्षेत्र में नीतिगत पहलों के लिए अच्छा संकेत है।

अपनी आर्थिक विकास दर में प्रत्याशित बढ़ोत्तरी को बरकरार रखने के लिए हमें ऊर्जा की सुलभता सुनिश्चित करनी होगी। अतः ऊर्जा सुरक्षा मुख्य राष्ट्रीय प्राथमिकता है। मेरी सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आर्थिक तथा कूटनीतिक, दोनों तरह के कई कदम उठाए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय, दोनों प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ऊर्जा सुरक्षा, त्वरित वृद्धि दर तथा सतत आर्थिक विकास के राष्ट्रीय उद्देश्यों के संवर्धन के लिए यह आवश्यक है कि तेल के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी अनन्य क्षमता संबंधी क्षेत्रों में अपनी ताकत को बढाएं ताकि वे उनके लिए परिकल्पित मुख्य भूमिका को पूर्णरूप से निभा सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा में सहस्फोट पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। मेरी सरकार ने 4 जनवरी, 2005 को नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति का पांचवा दौर शुरू किया है जिसमें कंपनियों को तेल और गैस के अन्वेषण के लिए निवेश हेतु आकर्षक अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी दीर्घावधिक ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का दोहन करने

की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां विकसित करने को मेरी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

माननीय सदस्यगण, यद्यपि हमारी जनता से संबंधित इन सातों क्षेत्रों पर सरकार प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देगी तथापि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, विशेषकर हमारे औद्योगिक उत्पादन और सेवा क्षेत्रों के आधुनिकीकरण तथा विकास पर भी जोर दिया जाएगा। हाल के वर्षों राष्ट्रीय आय में औद्योगिक उत्पादन का घटता अंश चिन्ता का विषय है। अपने औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मेरी सरकार ने एक राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन प्रतिस्पर्धा परिषद् की स्थापना की है जो इसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति एक ऐसे संसार में बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक है जहां व्यापारिक द्वार खोले जा रहे हैं। मेरी सरकार देश में औद्योगिक विकास को तेज करने को उच्च प्राथमिकता देगी। वस्त्र तथा परिधान, आटोमोबाइल तथा उनके कलपुर्जों, चमड़ा तथा फार्मास्यूटिकल सहित विनिर्माण उद्योगों का एक विशाल क्षेत्र हैं जिसमें विद्यमान असीम अवसरों का दोहन किया जाएगा। इस पर मेरी सरकार विशेष ध्यान देगी।

मल्टी–फाइबर एग्रीमेंट की समाप्ति से कपड़ा क्षेत्र में बाहय व्यापार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं जिन्हें भारतीय उद्योग को काम में लाना होगा। सरकार इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी व उनमें सुधार करेगी। कपड़ा क्षेत्र में भारत को पारम्परिक तथा आधुनिक, दोनों स्तरों पर काफी वरीयता प्राप्त है और इसे विश्व बाजार में अपने पूर्व–प्रतिष्ठित पद को पुनः प्राप्त करना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पुनर्गठन से बहु–उपेक्षित हथकरघा क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन करेगी। मेरी सरकार हथकरघों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करेगी। तथा उनकी डिजाइन और विपणन क्षमताओं को बढ़ाएगी। कुछ समय से बुनकरों की दुर्दशा जनता का ध्यान आकृष्ट कर रही है परन्तु इस संबंध में पर्याप्त रूप से कुछ नहीं किया गया है। मेरी सरकार अगले दो वर्षों तक चलने वाले एक समयबद्ध कार्यक्रम के जरिए बुनकरों की स्थिति सुधारने पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रस्ताव करती है। इस कार्यक्रम का नाम ''बुनकरों के लिए दो वर्ष' होगा। इस कार्यक्रम के तहत, पारम्परिक करघों को बदला जाएगा, मूल्य संवर्धन के लिए डिजाइन क्षमता को सुधारा जाएगा तथा बुनकरों को नयी प्रौद्योगिकी, ऋण व बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे। व्यावसायिकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वे भारतीय बुनकरों को उन प्रमुख बाजारों से जोड़ें जहां भारतीय हथकरघा अभी भी उच्चस्तरीय स्थान बनाए हुए हैं। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने में सबसे बड़ी चुनौती ब्रान्ड इंडिया, 'मेड इन इंडिया' लेबल का संवर्धन करना है।

हमारी 90 प्रतिशत से अधिक श्रमिक शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में है। मेरी सरकार उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त संस्थागत और विनियामक तंत्र स्थापित करेगी। बेहतर सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रयास करते हुए, हमें प्रोत्साहनों तथा विनियमन के विवेकपूर्ण मिश्रण के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। असंगठित, अनौपचारिक, क्षेत्र के उद्यमों की समस्याओं का पता लगाने तथा इस क्षेत्र के लघु और अति लघु उद्यमों एवं स्व–रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को तकनीकी, विपणन और ऋण संबंधी सहायता मुहैया कराने के बारे में सिफारिशें देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया गया है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर, हम यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्यक्रम बनाएंगे कि अनौपचारिक क्षेत्र न केवल आर्थिक कार्यनिष्पादन में बल्कि रोजगार अवसरों के प्रदाताओं के रूप में भी फले फूले। सार्वजनिक क्षेत्र की सफल कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय एवं वाणिज्यिक स्वायत्तता देने और साथ ही लगातार घाटे में चल रही कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्निर्माण बोर्ड बनाया गया है।

माननीय सदस्यगण, आर्थिक विकास और कल्याण तथा हमारी जनता का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। तथापि, कुछेक ऐसी ताकतें कार्यरत हैं जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक है। मेरी सरकार शांति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले इस प्रकार के सभी खतरों से निपटने के लिए कृतसंकल्प है। मेरी सरकार हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की आंतरिक और बाहय चुनौतियों के प्रति पूरी तरह सचेत है तथा आतंकवाद के खतरे या मनमुटाव फैलाने के प्रयासों तथा कानून एवं व्यवस्था में गड़बड़ी से निपटने के लिए आवश्यक कोई भी कदम उठाने से हिचकिचाएगी नहीं। 2004 में देश में समग्र आंतरिक सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में रही। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने वाले तीन प्रमुख क्षेत्रों के रूप में जम्मू तथा कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में विद्रोह तथा कुछ राज्यों में नक्सलवादी हिंसा को चिन्हित किया गया है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें बहुपक्षीय दृष्टीकोण की आवश्यकता है। कानून तथा व्यवस्था लागू करने संबंधी तंत्र को अधिक कारगर बनाना पड़ेगा। साथ ही, हमें उन आधाभूत कारणों से भी निपटना चाहिए जो शांति सुरक्षा के साथ जीने की इच्छा रखने वाली हमारी जनता के किसी वर्ग में अलगाव की भावना पैदा करते हैं। सभी स्तरों पर प्रशासन को समान तथा जन–केन्द्रित विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मेरी सरकार विकास आयाम तथा मानवाधिकारों संबंधी चिंताओं पर समान ध्यान देगी।

इन खतरों से निपटने में मेरी सरकार का यह विचार था कि आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 का दुरुपयोग किया जाता रहा था तथा वास्तव में इस अधिनियम की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि विद्यमान कानून आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त थे। अतः सरकार ने पोटा को निरस्त कर दिया तथा विधिविरुद्ध

क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन किया ताकि आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए एक विधिक व्यवस्था लाई जा सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विरोधी तत्वों से निपटने में हमारा संकल्प किसी भी प्रकार से कमजोर हुआ हो। सरकार हमारे सुरक्षा बलों के कल्याण तथा उनके साजो समान के आधुनिकीकरण में निवेश करेगी।

मेरी सरकार लोगों की वास्तविकता चिन्ताओं पर समान ध्यान देने तथा उनकी शिकायतों का निपटारा करने के लिए कृतसंकल्प है। यह सामाजिक तथा आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए कदम उठाएगी जिससे कि जम्मू व कश्मीर के युवाओं को मान–मार्यादा, आत्मसम्मान और खुशहाली का जीवन जीने के पर्याप्त अवसर मिल सकें। शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार ने किसी भी समूह से बातचीत करने की अपनी इच्छा बार–बार व्यक्त की है बशर्ते कि वे हिंसा का रास्ता त्याग दें। सीमापार से आतंकवाद हमारे पश्चिम तथा पूर्व दोनों भागों में संभावित खतरा बना हुआ है हालांकि हाल के महीनों में जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवादी हमलों की संख्या में कमी आई है। सीमा के उस पार आतंकवाद की अवसंरचना को ध्वस्त नहीं किया गया है। सरकार ने भारत–बांग्लादेश सीमा पर कांटेदार तार लगाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है ताकि सीमा पार से घुसपैठ, तस्करी तथा अन्य भारत विरोधी गतिविधियों को रोका जा सके।

उत्तर–पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में भूमिगत समूहों की गतिविधियों तथा जातीय तनाव सतत रूप से वातावरण दूषित कर रहे हैं। हम यहां सामान्य स्थित बहाल करने के लिए कृतसंकल्प हैं ताकि उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लोग सामान्य जीवन जी सकें तथा आर्थिक रूप से खुशहाल बन सकें। मेरी सरकार हिंसा का त्याग करने वाले किसी समूह से सार्थक बातचीत करने की इच्छुक है। इसी भावना से सरकार उत्तर–पूर्वी राज्यों के विभिन्न समूहों से बातचीत करने में लगी है। हमारी सरकार उत्तर–पूर्व क्षेत्र में विकास की गति में तेजी लाने की ओर पर्याप्त ध्यान देगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार के विकास में उनकी वैध आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाए।

जम्मू व कश्मीर और उत्तर–पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास पर मेरी सरकार ध्यान देगी। सरकार ने जम्मू व कश्मीर राज्य की पुनर्संरचना और इसके विकास के लिए एक योजना तैयार की हैं इस योजना के अवसंरचनात्मक घटक राज्य के रुग्ण पर्यटन उद्योग में जान डालेंगे, नई क्षमता सृजित करेंगे तथा रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रस्तावित परियोजनाओं में सफल कार्यान्वयन के लिए उन्नत शासन, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, शांति, सुरक्षा, कानून–व्यवस्था, राजकोषीय जिम्मेदारी तथा जनोपयोगी वस्तुओं के किफायती मूल्य निर्धारण की आवश्यकता होगी।

उत्तर–पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास को दिशा देने के लिए उत्तर–पूर्वी परिषद को नया रूप दिया जा रहा है तथा उसका विस्तार किया जा रहा है। मेरी सरकार सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र समूह गठित करने के लिए अपने निर्णय पर मणिपुर की जनता की अनुकूल प्रतिक्रिया से प्रसन्न है। यह समूह सिफारिश करेगा कि विद्यमान अधिनियम में संशोधन किया जाए अथवा उसके स्थान पर एक और अधिक मानवीय कानून लाया जाए ताकि हमारे जनसमुदाय के मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इस क्षेत्र को आशा के नए एजेंडा की आवश्यकता है। सरकार के द्वार हमेशा उन सभी समूहों के लिए खुले हैं जो इस क्षेत्र के आर्थिक उत्थान तथा सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के प्रति कृतसंकल्प है। ऐसा कोई भी मुद्दा, कोई भी शिकायत नहीं है जो इतनी जटिल हो कि धैर्यपूर्ण, रचनात्मक बातचीत के माध्यम से हल न किया जा सके। आगे बढ़ने का एकमात्र यही रास्ता है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली इतनी खुली तथा इतनी लचीली है कि उसमें सभी प्रकार की विचारधाराओं का समावेश हो जाता है। अंत में कहा जा सकता है कि भारत में सत्ता का प्रवाह मतपेटी से निकलता है, बन्दूक की नली से कदापि नहीं।

मेरी सरकार साम्प्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए भी कृतसंकल्प है। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का पुनर्गठन किया गया है। साम्प्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए एक आदर्श व्यापक कानून बनाया जा रहा है। मेरी सरकार साम्प्रदायिकता फैलाने, कानून व व्यवस्था में गड़बड़ करने तथा किसी भी नागरिक को शांति और सुरक्षा से जीवनयापन न करने देने के किसी भी प्रयास से दृढ़ता से निपटेगी। नक्सलवाद की समस्या देश के कई हिस्सों में शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है। प्रत्येक राज्य सरकार को कमजोर वर्गों की वास्तविक मांगों और राष्ट्रविरोधी तत्वों के घृणित मनसूबों में अंतर समझते हुए इस खतरे से निपटने के उपाय निकालने होंगे। मेरी सरकार सभी कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है और लोगों के कल्याण को शांतिपूर्वक बढ़ावा देने की इच्छुक सभी राजनीतिक ताकतों के साथ बातचीत को प्रोत्साहन देगी। हालांकि वह लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई किसी भी सरकार की संवैधानिक सत्ता को चुनौती देने वाले तथा शस्त्रों का प्रयोग करने वाले किसी भी समूह के साथ कारगर ढंग से निपटेगी।

माननीय सदस्यगण, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल, हमारी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण हमारी सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए निधियों के आबंटन में वृद्धि की गई है। थलसेना, नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण की परियोजनाएं चल रही हैं। विभिन्न उपकरण और शस्त्र प्रणालियों की स्थापना के लिए अनेक नयी परियोजनाएं प्रगति पर हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' के तीन प्रोटोटाइपों का उड़ान परीक्षण चल रहा है और सुपरसोनिक उड़ानों सहित 307 परीक्षण उड़ानें पूरी कर ली गई हैं। एकीकृत इलैक्ट्रानिक युद्ध प्रणाली – 'संयुक्त' का सेना द्वारा सफलता–पूर्वक मूल्यांकन कर लिया गया है और इसे अपना लिया गया है। नौसेना के लिए एक इलैक्ट्रानिक युद्ध प्रणाली – 'संग्रह' को अपना लिया गया है और उत्पादन के आदेश दे दिए

गए हैं। तीसरी पीढ़ी के टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र 'नाग' और जमीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र 'आकाश' के सफल उड़ान परीक्षण किए जा चुके हैं। रूस के साथ एक संयुक्त उद्यम कार्यक्रम – सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रहमोस' का जहाजरोधी अस्त्र के रूप में परीक्षण किया जा चुका है और यह सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। प्रमुख युद्ध टैंक – 'अर्जुन' को सफलतापूर्वक सेना में शामिल कर लिया गया है।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम में की गई घोषणा के अनुसार रक्षा मंत्रालय में अलग से भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया गया है। यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करेगा। विश्व के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय बनाया गया है।

सरकार का सुधार करने और उसे अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और कुशल बनाने के लिए मेरी सरकार कृतसंकल्प है। प्रशासन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के व्यापक सुधार के भाग के रूप में लोक सेवकों के लिए अच्छे शासन हेतु एक आदर्श संहिता तैयार की जा रही है। यह सरकार लोक प्रशासन प्रणाली का पुनर्गठन करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित करेगी। सूचना का अधिकार अधिनियम बनने से नागरिक सशक्त होंगे और प्राधिकारी अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बाध्य होंगे। शासन की गुणवत्ता को बढ़ाने के सरकारी प्रयासों के एक भाग के रूप में अनेक नए उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी स्तरों पर सरकारी कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में उचित रूप से प्रशिक्षित हों और नागरिकों के पास शिकायत निवारण के प्रभावी तंत्र उपलब्ध हों।

माननीय सदस्यगण, विदेशों के साथ हमारे संबंधों के निर्वहन में और हमारे आर्थिक हितों को साधने के लिए मेरी सरकार की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर ही केन्द्रित है। सरकार ने विकल्पों की अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा अपनी चिंताओं के प्रति सचेत रहते हुए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण अधिक सुरक्षित बना है। हमने अपनी स्थिति और विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए हैं ताकि हमारे विदेशी भागीदार हमारे महत्त्व के विषयों पर हमारी स्थिति के तर्क को बेहतर ढंग से समझ सकें।

मेरी सरकार ने अपने पड़ोसियों से रिश्ते और सार्क को सुदृढ़ बनाने पर प्रमुखता से ध्यान दिया है। मेरी सरकार की यह हार्दिक इच्छा है कि अपने सभी पड़ोसियों के साथ कार्य करके समृद्धि और शांति का एक साझा पड़ोस बनाया जाए। सार्क की आगामी शिखर बैठक में इसमें निहित क्षमता को साकार करने के महत्व की हम पुनः पुष्टि करते हैं। अपने पड़ोसियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि इस क्षेत्र के लोग बढ़े हुए सहयोग, दृश्यमान अवरोधों और रुकावटों को पार करने की इच्छा रखते हैं। हमारा प्रयास होगा कि पारम्परिक मित्रता को प्रगाढ़ और व्यापक बनाया जाए और नई भागीदारियों की शुरूआत की जाए। भूटान के साथ हम अपने विशेष रूप से घनिष्ठ संबंधों को मूल्यवान समझते हैं और हम उन्हें और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बांग्लादेश के साथ हमारे विशेष और गर्मजोशी भरे संबंध चले आ रहे हैं। भारत सुनामी के प्रकोप से प्रभावित श्रीलंका और मालदीव, दोनों को राहत और सहयोग तीव्रता से पहुंचाने वाले देशों में से एक था। वह भी तब, जब हम खुद अपने तटवर्ती क्षेत्रों में सुनामी के प्रभावों से जूझ रहे थे। और अपनी क्षति का अनुमान लगा रहे थे। इससे इन संबंधों का हमारे लिए महत्व एवं अच्छे पडोसी संबंधों के प्रति हमारी वचनबद्धता परिलक्षित होती है। श्रीलंका के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार हमारे आर्थिक सहयोग को और गहन बनाएगा। राष्ट्रपति करज़ई का हाल का दौरा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण प्रयासों में हमारी भागीदारी को और सुदृढ़ बनाएगा।

शांति, स्थायित्व और सम्पन्नता वाला पड़ोस बनाने के अपने प्रयास में पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के साथ एक गंभीर वार्ता में हम संलग्न हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए कई पहलें की गई हैं। निकट भविष्य में आपसी सहयोग विश्वास बढ़ाने के तरीकों सहित विभिन्न प्रकार के उपायों की हमारी पेशकश, जो आगे दीर्घावधिक आर्थिक सहयोग का रूप ले सकती है, हमारे जनसमुदायों की दिली इच्छा के अनुरूप है। तथापि, सामान्यीकरण की प्रक्रिया पूर्णरूपेण पाकिस्तान के इस आश्वासन पर निर्भर करती है कि वह आतंकवादी गतिविधियों को अपना सहयोग बंद कर देगा।

भारत-पाकिस्तान वार्ता प्रक्रिया को हाल में पर्याप्त रूप से आगे बढ़ाया गया। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए एक समझौता किया गया। ननकाना साहिब जैसे धार्मिक स्थानों सहित लाहौर और अमृतसर के बीच बस सेवाएं शुरू करने के लिए सिद्धांततः सहमति भी बनाई गई। पाकिस्तान खोकरापार-मुनाबाओ रेल संपर्क को शीघ्र बहाल करने पर कार्य करने के लिए भी राजी हुआ। इन उपायों से लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेंगे और इनसे वर्तमान वार्ता प्रक्रिया को भी सुस्पष्ट समर्थन मिला है।

नेपाल के साथ हमारा संबंध उच्च प्राथमिकता पर रहेगा और हमारा दृष्टिकोण यह है कि नेपाल के सामने आज उपस्थित समस्याएं केवल एक संवैधानिक राजशाही तथा बहुदलीय लोकतंत्र द्वारा राष्ट्रीय आम सहमति के आधार पर सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करके हल की जा सकती है। महामहिम नेपाल नरेश द्वारा 1 फरवरी, 2005 को बहुदलीय सरकार को भंग करने, आपात स्थिति की घोषणा करने और राजनेताओं को गिरफ्तार करने पर भारत ने गंभीर चिंता व्यक्त की है।

हमारे प्रमुख आर्थिक साझेदारों के साथ अपने रिश्तों को हम

अत्यंन्त महत्वपूर्ण मानते हैं। भारत–अमरीकी संबंध इस कारण निरंतर आगे बढ़ रहे हैं कि ये दोनों देशों के लोकतंत्र एवं सामरिक साझेदार होने के कारण उनके मध्य उत्पन्न सतत आकर्षण पर आधारित है। हम इस संबंध में इस एकजुटता को लगातार बढ़ाते रहेंगे और अपने द्विपक्षीय आर्थिक तालमेल तथा दोनों देशों के लोगों के मध्य जीवन्त सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाएंगे। यूरोपीय संघ और इसके 25 सदस्य राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध निरंतर बढ़ते रहे हैं और अपनी ओर से हम हाल में प्रारंभ इस सामरिक भागीदारी को अधिक गति प्रदान करने के लिए कार्य करेंगे जिसमें इस वर्ष नई दिल्ली में होने वाली अगली भारत–यूरोपीय संघ शिखर वार्ता भी शामिल है। रूस के साथ समय की कसौटी पर खरी उतरी सामरिक साझेदारी को हम मूल्यवान समझते हैं, जो रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति के हालिया दौरे से सुदृढ़ हुई है। हमारे सहयोग की सघनता उस प्राथमिकता को प्रदर्शित करती है जो हमने इस महत्वपूर्ण रिश्ते को प्रगाढ़ और घनिष्ठ बनाने में की है। मेरी सरकार ने चीन के साथ अपनी वार्ता और संलग्नता को गति प्रदान करने का प्रयास किया है और वहां के प्रधानमंत्री के दौरे को हम इस प्रत्याशा से देखते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मील के पत्थर के समान सिद्ध होगा।

'लुक ईस्ट पालिसी' ने जापान, आसियान के सदस्य राष्ट्रों और कोरिया गणराज्य के साथ हमारे संबंधों को काफी सुदृढ़ बनाया है। हम आशा करते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ग घटना होगी। आसियान के साथ हमारे संबंध नई दिशाओं में बढ़ हैं और इसकी पूर्ण क्षमता का दोहन करने की हम आशा करते हैं। नवम्बर, 2004 में आसियान शिखर सम्मेलन में भारत की प्रभावी उपस्थिति तथा जुलाई, 2004 में पहले बिम्सटैक शिखर सम्मेलन की सफलता ने हमारे पूर्वी पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में हमारी मदद की है।

हमारी ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में हमारी विदेश नीति और घरेलू आवश्यकताओं का जुड़ना महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार विकास संबंधी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की हमारी आवश्यकता के साथ हमारी राजनयिक गतिविधियों का तालमेल बनाने को पूरा महत्व देगी। पश्चिम एशिया, खाड़ी और निकटवर्ती क्षेत्रों में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे नागरिक तथा हमारे स्थापित एवं पारम्परिक हित आपसी व्यवहार में प्रकट होते रहेंगे। फिलिस्तीनी लोगों के सामने रहीं समस्याओं के न्यायोचित एवं स्थायी समाधान ढूंढने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के प्रयासों के प्रति हम समर्पित हैं ताकि वे अपना एक स्वयं का राज्य प्राप्त कर सकें। साथ ही इजराइल के साथ अपने मित्रतापूर्ण संबंधों को हम अत्यधिक महत्व देते हैं तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने व उनमें विभिन्नता लाने की आशा करते हैं।

बैंडुंग सम्मेलन की आने वाली 50वीं सालगिरह, एक ऐतिहासिक पहल को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर है जो ऐसे समय में की गई जब उपनिवेशवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया जोर पकड़ने लगी थी और जिसने गुट–निरपेक्ष आंदोलन के मूल्यों की पहले ही कल्पना कर ली थी। इसी भावना से अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका के देशों के साथ अपने रिश्तों के दायरे को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए अपने व्यापक प्रयास को हम जारी रखेंगे। हम इस वर्ष नवम्बर में होने वाले राष्ट्रमण्डल के शिखर–सम्मेलन में उसके मूल्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दृढ़तापूर्वक दोहराएंगे।

इस वर्ष हम दूसरे विश्व युद्ध के अंत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि वे समस्याएं जिनका आज संसार सामना कर रहा है, निश्चित रूप से विश्वव्यापी है और ऐसी समस्याएं हैं जिनकी कोई सीमाएं नहीं हैं, जिनके लिए सामूहिक नीतियों की आवश्यकता है। वैश्विक चिन्ताओं से संबंधित सभी वार्ताओं में हम सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्थिति और क्षमता के अनुसार एक बड़ी भूमिका निभाने की भारत की युक्तियुक्त आकांक्षा को अधिकाधिक मान्यता प्राप्त हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आवश्यक नवीकरण के एक भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया को हम महत्वपूर्ण समझते हैं और हमारी मंशा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की अपनी आकांक्षा को बलपूर्वक व्यक्त करने की है।

माननीय सदस्यगण, यह वर्ष कई सालगिरहों का वर्ष है। इस वर्ष हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा शुरू की दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह की प्लैटिनम जयन्ती मना रहे हैं। मुझे आशा है कि सम्पूर्ण राष्ट्र आदर्शवाद तथा आत्म–बलिदान की उस भावना का स्मरण करेगा जो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के चरमोत्कर्ष की विशेषता रही है। अपनी धरती के नमक मात्र से ही गांधी जी ने उपनिवेशी शासन को अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अग्राह्य बना दिया। इसने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकृष्ट किया।

नमक सत्याग्रह को याद करते हुए प्रत्येक भारतीय को स्वतंत्रता और आत्म–सम्मान की अपनी चाह में फिर से गर्व महसूस करना चाहिए तथा हमारे पूर्वजों, जिन्होंने उपनिवेशी शासन से हमें आजादी दिलाई, के आत्मविश्वास से सीख लेनी चाहिए। हमने इन 75 वर्षों में बड़ा लम्बा रास्ता तय किया है। आज भारत स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, बहुलता और सभी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध स्वतंत्र गणराज्य के रूप में सौहार्दपूर्ण राष्ट्रों के बीच सीना ताने खड़ा है।

यह वर्ष 1905 में हुए बंगाल विभाजन के मामले में ब्रिटिश राज के षडयंत्र के विरुद्ध महान राष्ट्रीय क्रांति का शताब्दी वर्ष भी है। मेरी सरकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर तथा राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य नेताओं के योगदान को नमन करती है। जिन्होंने बंगाल को विभाजित करने के लार्ड कर्जन के घृणित प्रयासों का विरोध किया। इस विभाजन के विरुद्ध लोगों को इकट्ठा करने, साम्प्रदायिक सद्भावना को सुदृढ़ करने तथा विरोध व्यक्त करने में राष्ट्रीय नेताओं तथा गुरुदेव टैगोर के नेतृत्व तथा कटिबद्धता के प्रति हम आभारी हैं। अतिविशाल जनांदोलन के कारण ब्रिटिश राज को अपना फैसला वापिस लेना पड़ा था।

हाल ही में, देश ने भारतीय डाक की 150 वीं वर्षगांठ मनाई। इण्डिया पोस्ट के सम्मान स्वरूप सरकार ने हाल में डॉट–इन डोमेन को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए पहल की। मैं आशा करता हूं कि अपनी खुद की वेबसाइट रखने वाले आदरणीय सदस्यगण अब डॉट–इन डोमेन का प्रयोग करेंगे! इस साल लेखक प्रेम चन्द की 125 वीं जयंती है। उन्होंने न केवल हिन्दी व उर्दू गद्य को नई दिशा दी जिसने उन्हें भारतीय जनमानस की कई पीढ़ियों का प्रिय बना दिया, वरन् उनके गद्य ने भारत के आम आदमी के दुख–दर्द को हमारे चिंतन के केन्द्र में ला बिठाया। मुझे आशा है कि हमारे विस्तृत गणराज्य के हरेक विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी की प्रेम चन्द से नए सिरे से पहचान होगी।

वर्ष 2005 में अल्बर्ट आइंस्टीन की 50वीं पुण्यतिथि है और उनके जीवन के सर्वाधिक स्मरणीय वर्ष की 100वीं वर्षगांठ अर्थात्, वह वर्ष जब एक 26 वर्षीय पेटेन्ट क्लर्क ने अपनी चार में से तीन महानतम कृतियों, जिनमें सापेक्षता का सिद्धांत सम्मिलित है, को प्रकाशित किया। मेरी सरकार हमारे विद्यालयों व महाविद्यालयों में मूलभूत विज्ञानों पर विशेष ध्यान देकर, हमारी विज्ञान संबंधी संस्थाओं को आधुनिक बनाकर और उनका पुनर्निर्माण करके, और सबसे महत्वपूर्ण, वैज्ञानिक सोच के प्रसार के लिए अपने को पुनः समर्पित करके आइंस्टीन की सालगिरह मनाएगी।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण मेरे साथ उन युवकों एवं युवतियों की ऊर्जा और उत्साह की सराहना करेंगे जो विभिन्न खेलों में अधिकाधिक हिस्सा ले रहे हैं और अपने देश के लिए देश और विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। मेरा विचार है कि राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के आयोजन तथा ओलम्पिक्स 2018 के आयोजन का दावा प्रस्तुत करने की हमारी तैयारियों के लिए यह एक शुभ संकेत हैं।

इस सरकार ने 'ग्रामीण भारत को नई पहल' का आश्वासन दिया था। गणतंत्र दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में मैंने ग्रामीण विकास के लिए एक दृष्टिकोण का उल्लेख किया था। इस दृष्टिकोण में गरीबी का संपूर्ण उन्मूलन, शिक्षा के लिए उत्कृष्ट और आसान अवसर और सभी नागरिकों के लिए कौशल विकास, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल और सफाई व्यवस्था तथा सभी भारतीयों के लिए उच्चतर आय स्तरों के सृजन की संकल्पना है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि, औद्योगिक उत्पादन तथा सेवा–क्षेत्र न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करेंगे बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में शिखर स्थान भी प्राप्त करेंगे। मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख–सुविधाएं मुहैया कराकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगी। भौतिक संयोजन, इलैक्ट्रानिक संयोजन और ज्ञान संयोजन से आर्थिक संयोजन प्राप्त होगा।

ग्रामीण भारत को विकास के सारथी के रूप में देखा जाना चाहिए और इसकी विकास संभाव्यता को खोलने के लिए ग्रामीण अवसंरचना के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है। मेरी सरकार ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण हेतु 'भारत निर्माण' नामक एक वृहत योजना लागू करना चाहती है। सिंचाई, सड़कें, गृह निर्माण, जलापूर्ति, विद्युतीकरण और दूरसंचार संयोजन के क्षेत्रों में ग्रामीण अवसंरचना बनाने के लिए यह एक समयबद्ध कार्य योजना होगी। सरकार इन उद्देश्यों में प्रत्येक के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करेगी। सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि ग्रामीण भारत अपनी अंतर्निहित क्षमता को साकार करे। भारत निर्माण वह मंच होगा जिस पर मेरी सरकार ग्रामीण भारत के लिए अपनी नई पहल करेगी। इस कार्यक्रम की रूपरेखा केन्द्रीय वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में प्रस्तुत करेंगे।

माननीय सदस्यगण, आपके पास लंबित विधायी कार्य का भारी बोझ है। इस सत्र में केन्द्रीय बजट और अन्य विधायी कार्य पर चर्चा होगी। अनेक महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के विभिन्न चरणों में है, जिन पर आपको विचार करना है। भारत की जनता इन महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विधानों पर आपके विचारों और निर्णयों की आतुरता से प्रतीक्षा करती है। माननीय सदस्यों, मैं आपके आग्रह से करता हूं कि जनता ने आपमें जो आस्था और विश्वास व्यक्त किया है, आप इन विधेयकों पर समुचित रूप से विचार करने के लिए स्वयं को समर्पित करके उसका सम्मान करें। संसद के समय का हर क्षण कीमती है और प्रत्येक नागरिक और करदाता इसे काफी तरजीह देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास जितना समय है आप उसका कारगर उपयोग करेंगे और नागरिकों की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

मैं आप के कार्यों की सफलता की कामना करता हूं। जय हिन्द।

अपराह्न 12.48 बजे

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मुझे सभा को हमारे पांच पूर्व साथियों अर्थात् श्री पी. वी. नरसिंह राव, श्री के. एस. रामास्वामी, श्री वी. अरुणाचलम, श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी और श्री हरिभाऊ शंकर महाले के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव 1977 से 1997 तक छठी से ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होनें छठी और सातवीं लोक सभा में आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आठवीं और नौवीं लोक सभा में महाराष्ट्र के रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र; दसवीं लोक सभा में आंध्र प्रदेश के नान्दयाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और ग्यारहवीं लोक सभा में उड़ीसा के बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक महान देशभक्त तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति, श्री राव ने स्वतंत्रता पूर्व काल में ही सार्वजनिक जीवन में पदार्पण किया और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री राव 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1958 से 1960 तक लोक लेखा समिति तथा 1958 से 1961 तक राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात, उन्होंने राज्य में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। वह 1962 से 1964 तक विधि तथा सूचना मंत्री; 1964 से 1967 तक विधि तथा विन्यास मंत्री; 1967 में स्वास्थ्य तथा औषधि मंत्री और 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री रहे। वर्ष 1971 में वह राज्य के मुख्य मंत्री बने और 1973 तक इस पद की शोभा बढ़ाई।

जिस सफलता से उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य की सेवा की, उससे राष्ट्रीय राजनीति में उनके पदार्पण का पथ प्रशस्त हुआ। छठी लोकसभा की सदस्यता के दौरान उन्होंने 1978 में लोक लेखा समिति के सभापति के रूप में कार्य किया। केन्द्र में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों का पदभार संभाला। वह 1980 से 1984 तक और फिर 1988 से 1989 तक विदेश मंत्री; 1984 में गृह कार्य तथा योजना मंत्री; 1984 से 1985 तक रक्षा मंत्री; 1985 से 1988 तक मानव संसाधन विकास मंत्री; और 1986 से 1988 तक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री रहे। श्री राजीव गांधी की दुखद हत्या के के पश्चात् नेतृत्व प्रदान करने के उनके गुणों, उनके समृद्ध प्रशासनिक अनुभव तथा भारतीय राजनीति में उनके योगदान के फलस्वरूप उन्हें प्रधान मंत्री के रूप में राष्ट्र की अगुवाई करने का दायित्व सौंपा गया।

प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री राव ने कई ऐसे नीतिगत निर्णय लिए तथा कदम उठाए जिनसे भारत को आर्थिक विकास तथा शांति और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में सहायता मिली।

बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी श्री राव कई भाषाओं के ज्ञाता और एक प्रसिद्ध लेखक तथा कवि भी थे। उन्होंने 'सहस्त्र फन' शीर्षक से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तेलुगू उपन्यास 'वेई पड़ागलू' का हिन्दी अनुवाद भी किया। राजनीति से सन्यास लेने के पश्चात श्री राव ने "द इनसाइडर" शीर्षक से एक पुस्तक भी लिखी।

श्री पी. वी. नरसिंह राव का निधन थोड़े समय बीमार रहने के पश्चात् 83 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में 23 दिसम्बर, 2004 को हुआ। उनके निधन से देश ने एक योग्य प्रशासक, वयोवृद्ध संसदविद् एक उत्कृष्ट विद्वान और एक स्वप्नदर्शी नेता और एक कुशल राजनेता खोया है।

श्री के. एस. रामास्वामी 1957 से 1962 तक और 1977 से 1979 तक दूसरी और छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने तमिलनाडु के गोबिचेट्टिपालयम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह 1962 से 1974 तक तमिलनाडु से राज्य सभा के सदस्य थे।

श्री रामास्वामी एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने वर्ष 1943 में महात्मा गांधी के अनशन के दौरान विद्यार्थियों की हड़ताल आयोजित की तथा भारत छोड़ो आन्दोलन में भी भाग लिया।

श्री रामास्वामी एक सक्रिय संसदविद् थे और 1961 से 1962 तक प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे तथा छठी लोक सभा में 1977 से 1979 तक संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के भी सदस्य थे।

श्री रामास्वामी एक कुशल प्रशासक थे और वे 1967 से 1971 तक और 1971 से 1972 तक केन्द्र सरकार में क्रमशः गृह मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री भी रहे।

श्री रामास्वामी पेशे से कृषक, वकील और उद्योगपति थे तथा अनेक सामाजिक, धार्मिक और शिक्षण संगठनों से सम्बद्ध थे। वे 1960 से 1962 तक दिल्ली जुओलॉजिकल पार्क काउंसिल और इंडियन सेन्ट्रल शुगरकेन कमेटी; 1966 में कॉफी बोर्ड के सदस्य थे और गांधी कल्वी निलयम हाई स्कूल के कई वर्षों तक कॉरस्पोंडेंट भी रहे। उन्होंने गोबिचेट्टिपालयम में आर्ट्स कॉलेज की स्थापना की। वे कई वर्षों तक श्री टी. एस. अवानाशिलिंगम होम साइंस कॉलेज से भी सम्बद्ध रहे।

उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की थीं और वर्ष 1972 में म्युनिख में हुए ओलम्पिक खेलों में भारतीय ओलम्पिक कंजिनजैंट का प्रतिनिधित्व किया था।

श्री के. एस. रामास्वामी का निधन 4 दिसम्बर, 2004 को इरोड़ तमिलनाडु में 82 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री वी. अरूणाचलम, 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने तमिलनाडु के तिरूनेलवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

"अलादी अरूण" के नाम से लोकप्रिय श्री अरूणाचलम 1983 से 1989 तक तमिलनाडु से राज्य सभा के भी सदस्य थे। इसके पूर्व श्री अरूणाचलम 1967 से 1975 तक तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य थे। वह 1996 में विधान सभा के सदस्य पुनः निर्वाचित हुए और अपने इस कार्यकाल में उन्होंने तमिलनाडु सरकार के विधि मंत्री का पद संभाला।

एक समर्पित सांसद, श्री अरूणाचलम प्राक्कलन समिति तथा लोक सभा के सदस्यों की सभा से अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य थे।

व्यवसाय से अधिवक्ता, श्री अरूणाचलम तमिलनाडु खादी बोर्ड और कृषि मूल्य आयोग की किसान पैनल के भी सदस्य थे।

साहित्यिक रुचि के व्यक्ति श्री अरूणाचलम एक साप्ताहिक ''एणम'' के सम्पादक थे तथा उन्होंने ''इंथी एहथीपथियम'' शीर्षक से तमिल भाषा में एक पुस्तक भी लिखी।

उन्होंने मास्को में 1972 में आयोजित ''शांति और एकजुटता परिषद् के सम्मेलन'' में भाग लिया।

श्री वी. अरूणाचलम का निधन दुखद परिस्थितियों में 31 दिसम्बर, 2004 को 71 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी, 1981 से 1984 तक सातवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री तिवारी में छात्र जीवन से ही नेतृत्व के गुण झलकते थे। वह 1956 से 1957 के दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय संघ के महासचिव थे। व्यवसाय से एक अधिवक्ता रहे, श्री तिवारी एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता भी थे।

श्री तिवारी 1980 से 1981 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने राज्य सरकार में सिंचाई तथा ऊर्जा राज्य मंत्री के पद पर भी कार्य किया। 1948 में, वह एक बार पुनः उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने जनवरी, 1985 से मार्च, 1985 तक राज्य सरकार में विद्युत मंत्री के पद पर भी कार्य किया। बाद में, वह 1997 से छह वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रहे।

एक समर्पित सांसद, श्री तिवारी 1984 के दौरान लोक सभा की याचिका संबंधी समिति के सभापति रहे और लोक सभा की सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्य भी रहे।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी का निधन 26 जनवरी, 2005 को नई दिल्ली में थोड़े समय बीमार रहने के पश्चात 73 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले 1977 से 1979, 1989 से 1991 और 1999 से 2004 तक क्रमशः छठी, नौवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मालेगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक हंसमुख व्यक्ति, श्री महाले ने अपना व्यावसायिक जीवन एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आरंभ किया। वह 1962 से 1967 तक दिंदोरी पंचायत समिति के उपाध्यक्ष रहे और 1967 से 1975 तक जिला परिषद् के सदस्य रहे। श्री महाले, 1980 से 1989 तक दो बार महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे। वह महाराष्ट्र विधानसभा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे।

एक समर्पित सांसद श्री महाले, छठी लोक सभा में सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति और नौवीं लोक सभा में, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति और पर्यावरण और वन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। तेरहवीं लोक सभा के दौरान, वह कृषि संबंधी समिति और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

वह एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्त्ता थे, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनजातीय और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने अनेक सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह महाराष्ट्र राज्य के ''यानचेसी'' के महासचिव, 'आदिवासी सेवक गौरव' के आजीवन सदस्य एवं रचना ट्रस्ट के सदस्य थे। वह डांग सेवा मंडल, नासिक और भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, नई दिल्ली से भी जुड़े हुए थे। श्री महाले महाराष्ट्र फॉरेस्ट लेबर यूनियन, पुणे तथा एनडीसीसी बैंक, नासिक के डायरेक्टर भी रहे। श्री महाले जनलक्ष्मी बैंक, श्रीराम बैंक, समर्थ बैंक और बाबा साहेब कॉआपरेटिव बैंक के सदस्य भी थे।

श्री महाले सहकारिता आन्दोलन के प्रबल समर्थक थे और तीस सहकारी समितियों के संस्थापक भी थे।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले का निधन 28 जनवरी, 2005 को ठाणे, महाराष्ट्र में एक सड़क दुर्घटना में 67 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि 26 दिसम्बर, 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा से उत्पन्न हुए भयंकर समुद्री ज्वार के कारण आई विनाशकारी सुनामी लहरों ने दक्षिण–पूर्व एशिया के अनेक देशों तथा भारत के आंध्र प्रदेश, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह जैसे राज्यों के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक, सुनामी त्रासदी जान माल की भारी हानि तथा पीड़ा और आघात का कारण बनी। भारत में सुनामी के कारण 10,264 लोगों की मृत्यु हुई। लगभग 5,811 लोग अभी भी लापता हैं और उनके मारे जाने का डर है। बड़ी संख्या में परिवार बेघर हो गये तथा अपनी आजीविका गंवा बैठे।

25 जनवरी, 2005 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के मांद्रा देवी के कालुबाई मंदिर की ओर जाने वाली संकरी सड़क पर मची भगदड़ के कारण हुई एक अन्य दुखद घटना में लगभग 278 तीर्थयात्री, जिनमें अधिकतर महिलायें और बच्चे थे, मारे गये तथा 250 से अधिक तीर्थ यात्री घायल हो गये।

हाल ही में, जम्मू और कश्मीर राज्य में, विगत दो दशकों में अब तक के सबसे अधिक हिमपात के रूप में प्रकृति का भारी प्रकोप देखा गया। इस हिमपात के कारण हिमस्खलन और भूस्खलन हुआ, जिससे 244 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। कई लोग अभी भी लापता हैं। इस रिकॉर्ड हिमपात से राज्य में सम्पत्ति को भी अत्यधिक नुकसान हुआ है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने के साथ-साथ लोगों का सामान्य जीवन भी अस्त-व्यस्त हुआ है।

अपराह्न 1.00 बजे

यह सभा, 22 फरवरी, 2005 को ईरान में जरांद में आए भूकम्प के कारण हुई व्यापक जनहानि और सम्पत्ति की भारी क्षति पर भी दुःख व्यक्त करती है।

हम इन दुःखद घटनाओं पर अत्यधिक शोक प्रकट करते हैं तथा यह सभा इस सम्बन्ध में अपना गहरा दुख व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

अपराह्न 1.0½ बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

अपराह्न 1.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय मैं, 'आर्थिक समीक्षा-2004-2005' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1589/2005)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय मैं, संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रपति द्वारा 26 सितम्बर, 2004 को प्रख्यापित पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 7) तथा उसका एक शुद्धि पत्र (केवल हिन्दी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1590/2005)

(2) राष्ट्रपति द्वारा 29 दिसम्बर, 2004 को प्रख्यापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 8) तथा उसका एक शुद्धि पत्र (केवल हिन्दी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1591/2005)

(3) राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 2005 को प्रख्यापित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2005 (2005 का संख्यांक 1) तथा उसका एक शुद्धि पत्र (केवल हिन्दी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1592/2005)

अपराह्न 1.02 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

(एक) चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : महोदय मैं, कराधार में विस्तार और कर अपवंचन के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।*

(दो) ग्यारहवां से तेरहवां और पंद्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, मैं, वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2003 संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन;

(2) लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विधेयक, 2003 संबंधी बारहवां प्रतिवेदन;

(3) कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2003 संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन; और

(4) प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) विधेयक, 2004 संबंधी पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

---

*यह प्रतिवेदन निदेश 71क के अन्तर्गत 10 फरवरी, 2005 को माननीय अध्यक्ष महोदय को उस समय प्रस्तुत किया गया था जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और अध्यक्ष महोदय ने लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत चौदहवें प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन के आदेश दिए हैं।

अपराह्न 1.02½ बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : महोदय, मैं पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2004–2005)' के बारे में पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2004–2005) के पहले प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही के बारे में समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 26 फरवरी, 2005/7 फाल्गुन, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस. – 48/7/1/ 2005 (एन.)
251

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंत
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।